



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042020-219107
CG-DL-E-22042020-219107

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1135]
No. 1135]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2020/वैशाख 2, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2020/VAISAKHA 2, 1942

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2020

का.आ.1278(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (कक) और खंड (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 के नियम 6 के खंड (क) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"किसी देश, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है की ईकाई या भारत में किसी विनिधान का हिताधिकारी स्वामी जो किसी ऐसे देश में अवस्थित है या उसका नागरिक है, केवल सरकार के अनुमोदन से ही विनिधान करेगा:

परंतु यह और कि पाकिस्तान का नागरिक या पाकिस्तान में निगमित कोई निकाय केवल सरकार के माध्यम से रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु उर्जा के और ऐसे अन्य क्षेत्रों या क्रियाकलापों जो विदेशी विनिधान के लिए प्रतिषिद्ध है, से भिन्न क्षेत्रों या क्रियाकलापों में विनिधान करेगा:

परंतु यह और भी कि भारत में किसी ईकाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी विद्यमान या भविष्य के एफडीआई के स्वामित्व का अंतरण होता है जिसके परिणामस्वरूप वह किसी निर्बधन या उपरोक्त परंतुक के क्षेत्र के भीतर आ जाता है, तो हिताधिकारी स्वामित्व में ऐसे पश्चातवर्ती परिवर्तन पर भी सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा।"

[फा. सं. 01/05/ईएम/2019-भाग (1)]

आनन्द मोहन बजाज, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का का.आ. संख्याक 3732 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. संख्याक 4355 (अ), तारीख 05 दिसंबर, 2019 पश्चातवर्ती संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2020

S.O. 1278 (E).— In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, in rule 6, in clause (a), for the provisos, the following provisos shall be substituted namely:-

“Provided that an entity of a country, which shares land border with India or the beneficial owner of an investment into India who is situated in or is a citizen of any such country, shall invest only with the Government approval:

Provided further that, a citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan shall invest only under the Government route, in sectors or activities other than defence, space, atomic energy and such other sectors or activities prohibited for foreign investment:

Provided also that in the event of the transfer of ownership of any existing or future FDI in an entity in India, directly or indirectly, resulting in the beneficial ownership falling within the restriction or purview of the above provisos, such subsequent change in beneficial ownership shall also require government approval”.

[F. No. 01/05/EM/2019-Part (1)]

ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended vide S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019.